प्रेस नोट

05/10/2021

02 अर्न्तजनपदीय शातिर असलहा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध एक पिस्टल 09एमएम व 02 जिंदा कारतूस 09 एमएम व 02 तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना चिरैयाकोट पुलिस को उस उक्त अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 04.10.2021 को रात्रि 21.10 बजे देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर धर्मदास गेट के पास दो शातिर असलहा तस्करों क्रमशः रोहित सिंह उर्फ रोशन सिंह पुत्र स्व0 राम औतार सिंह सा0 लक्ष्मनपुर थाना करण्डा जनपद गाजीपुर व अविष्कार सिंह उर्फ जिम्मी पुत्र राकेश सिंह निवासी अलीनगर थाना भुडकुडा जनपद गाजीपुर के कब्जे से अवैध एक अदद 09 एमएम पिस्टल व 02 अदद कारतूस 09एमएम व 02 अदद 315 बोर तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर उक्त अभियुक्तो द्वारा बताया गया कि दिनांक 04.10.2021 को हम दोनों लोग अवैध असलहा अन्य प्रान्त से सस्ते दामों पर खरीद कर अच्छे दामों पर असलहे को बेचते हैं जिससे हम लोगों का खर्च चलता है । इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 161/21 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 162/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण–

1. रोहित सिंह उर्फ रोशन सिंह पुत्र स्व0 राम औतार सिंह सा0 लक्ष्मनपुर थाना करण्डा जनपद गाजीपुर।
2. अविष्कार सिंह उर्फ जिम्मी पुत्र राकेश सिंह निवासी अलीनगर थाना भुडकुडा जनपद गाजीपुर

बरामदगी–

1. अवैध एक पिस्टल 09एमएम व 02 जिंदा कारतूस 09 एमएम।
2. 02 तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

उ0नि0 अमित कुमार मिश्रा थानाध्यक्ष थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ, उ0नि0 गंगा सागर मिश्रा, उ0नि0 श्री उमेश चन्द्र यादव, का0 गोकर्ण यादव, का0 अनुराग पाल, का0 मनीष कुमार, का0 अमित कुमार यादव, का0 जागेश्वर सिंह थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ।

02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

थाना मधुबन पुलिस द्वारा आज दिनांक 05.10.2021 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 494/21 धारा 380,511 भादवि में वांछित अभियुक्त गौतम पुत्र रवीन्द्र निवासी उसरी थाना मधुबन मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया। साथ ही साथ थाना घोसी पुलिस द्वारा सरायख्वाजा के पास से मु0अ0सं0 841/20 धारा 363,366,323,504,506,376 भादवि में वांछित अभियुकत सूर्यनाथ पुत्र नन्हू निवासी भुड़सुड़ी थाना हलधरपुर मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

<u>नाजायज गांजा के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार–</u>

थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा आज दिनांक 05.10.2021 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान बुनकर कालोनी के पास से संजय कुमार राम पुत्र सिद्धू प्रसाद निवासी चांदमारी इमिलिया थाना सरायलखंसी मऊ के कब्जे से एक किलो 280 ग्राम नाजायज गांजा बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 475/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

<u>अवैध चाकू के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार–</u>

थाना मधुबन पुलिस द्वारा आज दिनांक 05.10.2021 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मलकौली के पास से सिद्धू पुत्र हरिहर निवासी मलकौली थाना मधुबन मऊ के कब्जे से एक नाजायज चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 496/21 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

<u>14 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार–</u>

थाना घोसी पुलिस द्वारा आज दिनांक 05.10.2021 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान भैरोपुर के पास से सदन पुत्र स्व0 नाथा निवासी अमिला बसावनपुर घोसी के कब्जे से 14 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त के विरुद्ध सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

<u>शांति भंग की आशंका में कुल 13 व्यक्ति व एक वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–</u>

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 05.10.21 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान, थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा जयराम यादव, जयप्रकाश, मरहू निवासीगण मठैली थाना हलधरपुर, थाना मधुबन पुलिस द्वारा भीम साहनी व मनोज साहनी निवासीगण लउवासाथ व वारंटी अभियुक्त स्वामीनाथ पुत्र गया प्रसाद निवासी दिघेडा थाना मधुबन, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा सोनू नट, बग्घी नट, नितेश सिंह निवासीगण खड़हरा गली, आशीष पाण्डेय निवासी भीटी थाना कोतवाली, थाना रानीपुर पुलिस द्वारा रवीन्द्र राम निवासी अकबरपुर, अभय राम, राम विजय, राम सुरेश निवासीगण करजौली थाना रानीपुर मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।